क्रम-संख्या—213

(29)

रजि० नं० एल० डब्ल्यू० /एन० पी० 890

लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

J.P. Ordinance no. 2 of 1999

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 29 जुलाई, 1999

श्रावण 7, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1567/सत्रह-वि-1—1(क)26-1999

लखनऊ, 29 जुलाई, 1999

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 29 जुलाई, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1999

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1999]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा।

(2) यह 20 मई 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है,— धारा 2 में—

(क) खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा अर्थात् :—

"(छ) "सदस्य" का तात्पर्य बोर्ड के किसी सदस्य से है और इसके अन्तर्गत बोर्ड का अध्यक्ष भी है,"

(ख) खण्ड (ट-1) निकाल दिया जायगा।

धारा 4 का प्रतिस्थापन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"बोर्ड की संरचना 4 (1) बोर्ड में एक अध्यक्ष और सात सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(2) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह,—

(क) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति न हो या न रहा हो, या

(ख) राज्य सरकार की राय में, प्रशासनिक सेवा का ऐसा उत्कृष्ट अधिकारी, जो राज्य सरकार के सचिव या शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से निम्न पंक्ति का न हो, या न रहा हो।

(3) सदस्यों में से—

(क) एक ऐसा व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार की राय में, राज्य शिक्षा सेवा का ऐसा उत्कृष्ट अधिकारी हो या रहा हो जो अपर निदेशक से निम्न पंक्ति का न हो,

(ख) अन्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो—

(एक) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में या ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे सम्बद्ध किसी महाविद्यालय में उपाचार्य के रूप में दस वर्ष से अनिम्न की अवधि के लिए कार्य किया हो, या

(दो) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी संस्था के प्राचार्य के रूप में, दस वर्ष से अनिम्न अवधि के लिए कार्य किया हो, या

(तीन) राज्य सरकार की राय में, ऐसा विख्यात शिक्षाविद् हो जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति उस दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक को उसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।"

उपाध्यक्ष पद पर नहीं रहेगा

4—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व मूल अधिनियम की धारा 3 में निर्दिष्ट बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद धारण करने वाला व्यक्ति, ऐसे प्रारम्भ पर ऐसे पद पर नहीं रह जायगा।

निरसन और अपवाद

5—(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 1...

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

योगेन्द्र राम त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव।

No. 1567(2)/XVII-V-1–1 (KA) 26-1999

Dated Lucknow, July 29, 1999

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Seva Chayan Board (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1999, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 31 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 29, 1999.

THE UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES SELECTION BOARD (SECOND AMENDMENT) ACT, 1999

[U. P. Act No. 31 of 1999]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982.

It is hereby enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh secondary Education Services Selection Board (Second Amendment) Act, 1999.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 20, 1999.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 5 of 1982

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982, hereinafter referred to as the principal Act,—

(a) *for* clause (g) the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(g) 'Member' means a member of the Board and includes its Chairman ;"

(b) clause (k-1) shall be *omitted*.

Substitution of section 4

3. *For* section 4 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"Composition of the Board 4. (1) The Board shall consist of a Chairman and seven Members who shall be appointed by the State Government.

(2) A person shall not be qualified for appointment as Chairman, unless he,—

(*a*) is or has been a Vice-Chancellor of any University established by law; or

(*b*) is or has been, in the opinion of the State Government, an outstanding officer of the Administrative Service not below the rank of Secretary to the State Government or Director of Education, Uttar Pradesh.

(3) Of the Members,—

(*a*) one shall be a person who is or has been in the opinion of the State Government, an outstanding officer of the State Education Service not below the rank of Additional Director;

(*b*) others shall be persons who,—

(*i*) have worked as a Professor in any University established by law in Uttar Pradesh, or as a Reader of any Degree College recognised by, or affiliated to, such University for a period of not less than ten years; or

(*ii*) have worked as a Principal of any institution recognised under the Intermediate Education Act, 1921 for a period of not less than ten years; or

(*iii*) are, in the opinion of the State Government, an eminent educationist having made valuable contribution in the field of education.

(4) Every appointment under this section shall take effect from the date on which it is notified by the State Government."

The Vice-Chairman shall cease to hold the office

4. Notwithstanding any Judgment, decree or order of any court, any person holding the office of the Vice-Chairman of the Board referred to in section 3 of the principal Act, immediately before the commencement of this Act, shall, on such commencement, cease to hold such office.

Repeal and savings

5. (1) The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Amendment) Ordinance, 1999 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the, provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए० पी० 92 सा० विधा०--(820)--1999--850 (मेक०)।